

\*\*\*\*\*  
**ATTENTION**  
\*\*\*\*\*

**RAGGING**

**RAGGING**

According to the UTTAR PRADESH PROHIBITION OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2010 (U.P. ACT No. 14 of 2010, as passed by the Uttar Pradesh Legislature), “Whoever directly or indirectly commits, participates, abets or propagates ragging within or outside H.B.T.I., Kanpur premises shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years **or** with fine which may extend to ten thousand rupees **or** with both. Any student convicted of an offence shall not be admitted in any educational institution for a period which may extend to five years from the date of order of debarring”.

Administration, H.B.T.I., Kanpur

# रैगिंग सावधान रैगिंग

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14 सन् 2010, जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) के अनुसार “जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से” एच०बी०टी०आई०, कानपुर के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के लिए किसी भी कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

रैगिंग में लिप्त पाये गये दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पांच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।

प्रशासन, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर-02